पत्रांक 15/एम 1–106/2016 – 754

बिहार सरकार

शिक्षा विभाग

प्रेषक,

सतीश चन्द्र झा,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

सचिव,
बिहार लोक सेवा आयोग, पटना।

पटना, दिनांक 27/3/ 2019

विषयः विज्ञापन संख्या 46/2014, उर्दू विषय में प्राप्त प्रमाण पत्रों की समकक्षता एंव बैधता के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक 2041 दिनांक 31.10.2018 के प्रसंग में सामान्य प्रशासन विभाग का मार्गदर्शन प्राप्त किया गया। बिहार राज्य के अधीन नियुक्तियों में विभिन्न मदरसा बोर्ड द्वारा प्रदत प्रमाण पत्र/डिग्रियों की समानता एवं समकक्षता के संदर्भ में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार द्वारा संसूचित संकल्प संख्या 3366 दिनांक 12.03.2019 की छाया प्रति सहज अवलोकनार्थ एवं अग्रेतर कार्रवाई हेतु संलग्न कर भेजा जा रहा है।

अनु0 :– यथोक्त।

विश्वासभाजन

26/03/2019

(सतीश चन्द्र झा)
सरकार के विशेष सचिव

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
।। संकल्प ।।

विषयः— बिहार राज्य के अधीन नियुक्तियों में विभिन्न मदरसा बोर्ड द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र/ डिग्रियों की समानता एवं समकक्षता के संदर्भ में।

बिहार राज्य के अधीन विभिन्न सरकारी सेवा में नियुक्ति हेतु विभिन्न मदरसा बोर्डों द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र/डिग्रियों की समानता एवं समकक्षता निर्धारित किये जाने का प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन था।

2. सामान्य प्रशासन विभाग (तत्कालीन कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग) के आदेश संख्या–8–आर0–1–1010/76शि0को0–4226 दिनांक–11.03.1977 द्वारा विभिन्न सरकारी सेवा में नियुक्ति या प्रवेश पाने हेतु **मदरसा परीक्षा बोर्ड, बिहार द्वारा नये पाठ्यक्रम के आधार पर प्रदान किये जाने वाले प्रमाण पत्रों एवं डिग्री को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति एवं राज्य के परिगणित विश्वविद्यालयों द्वारा दिये जाने वाले प्रमाण पत्रों एवं डिग्री की समानता एवं समकक्षता निर्धारित है।**

3. बिहार सरकार के अन्तर्गत नियुक्ति हेतु ऐसे आवेदकों के आवेदन भी प्राप्त हो रहे हैं जिनके द्वारा अन्य राज्यों के मदरसा बोर्ड से डिग्री/प्रमाण पत्र प्राप्त किये गये हैं। परन्तु अन्य राज्यों के मदरसा बोर्ड द्वारा प्रदत्त डिग्री/प्रमाण पत्रों की समकक्षता से संबंधित राज्य सरकार का कोई निर्णय संसूचित नहीं है। अतः ऐसे आवेदकों की नियुक्ति के संदर्भ में विचार कर समुचित निर्णय लिये जाने हेतु अन्य राज्यों के मदरसा बोर्ड द्वारा प्रदत्त डिग्री/प्रमाण पत्रों की समकक्षता के संदर्भ में प्रावधान किया जाना आवश्यक हो गया है।

4. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय आदेश संख्या– 42012/13/2007–स्था0(डी0) दिनांक–23.02.2010 द्वारा केन्द्र सरकार में नियोजन हेतु विभिन्न राज्यों के मदरसा बोर्डों द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्रों/डिग्रियों की समकक्षता एवं मान्यता के संदर्भ में निर्णय संसूचित है।

5. सम्यक् विचारोपरान्त बिहार राज्य के अधीन नियुक्तियों में विभिन्न मदरसा बोर्ड द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्रों/डिग्रियों की समानता एवं समकक्षता के संदर्भ में निम्नांकित निर्णय संसूचित किया जाता है–

(i) तत्कालीन कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के आदेश संख्या–8–आर0–1–1010/76शि0को0–4226 दिनांक–11.03.1977 के प्रावधानों का अनुपालन किया जाय।

(ii) अन्य राज्य के मदरसा बोर्ड द्वारा प्रदत्त डिग्री/प्रमाण पत्र के संदर्भ में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय आदेश संख्या–42012/13/2007–स्था0(डी0) दिनांक–23.02.2010 द्वारा संसूचित निर्णय का अनुपालन किया जाय।

6. यह तुरत प्रवृत्त होगा।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसे बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रतिलिपि महालेखाकार, बिहार, पटना/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग,

(102)

पटना/सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना/सचिव, बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग, पटना/सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ भेजी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
(राजेन्द्र राम)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक–3/एम0–02/2019–.................. पटना, 15 दिनांक–

प्रतिलिपि– वित्त विभाग (ई–गजट प्रशाखा), बिहार, पटना बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह0/–
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक–3/एम0–02/2019–...3366 पटना, 15 दिनांक– 12.3.19

प्रतिलिपि– मुख्य सचिव, बिहार/सभी प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/अध्यक्ष, बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग/बिहार कर्मचारी चयन आयोग/बिहार अभिलेखागार, बेली रोड/बिपार्ड, वाल्मी, बिहार, पटना/आई0टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना। को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(राजेन्द्र राम) 12/3/19
सरकार के अपर सचिव

File No. 42012/13/2007- Estt.(D)
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions
Department of Personnel & Training
Establishment.(D) Section

105

New Delhi, the 23rd February, 2010.

Office Memorandum

Subject: Recognition of Certificates/Qualifications issued by State Madarsa Education Boards for the purpose of employment under the Central Government.

The undersigned is directed to say that the Central Government has accepted the following recommendations relating to equivalence and the guiding principles that should be in place for grant of such equivalence to the various examinations conducted by the Madarsa Boards of the country with those of the main stream Boards of Secondary and Senior Secondary Education for the purpose of Higher Education as the case may be:

(i) The Madarsa seeking equivalence need to affiliate themselves with the corresponding State Madarsa Board.

(ii) In a state which has no functioning Madarsa Board the Madarsas existing in that state may affiliate themselves to the Madarsa Board of any other neighbouring state, so that the students enrolled in Madarsas do not face any difficulty in their attempt at horizontal and vertical mobility and employment.

(iii) The certificates/qualifications of the Madrasa Board which have been granted equivalence by the corresponding State Board of Education to that of their Secondary and Senior Secondary qualifications may be considered equivalent by the Central Board of Secondary Education(CBSE), Council of Boards of School Education in India(COBSE) and/or by any other School Examination Board, for the purpose of employment.

The Government of India, in consultation with Ministry of HRD have decided to recognize the certificates/qualifications issued by the following state Madarsa Education Boards for the purpose of employment under the Central Government:-

S.No.	Name of the Board	Examination Conducted	Equivalence to Classes
1.	Bihar State Madarsa Education Board, Patna, Bihar.	Wastania Fauquania Maulvi	VIII X XII
2.	West Bengal Board of Madarsa Education, Kolkata, West Bengal.	High Madrasa, Alim Fazil	X XII

Contd.

104

3.	Chhattisgarh Madarsa Board, Raipur, Chhattisgarh.	Urdu Adib, Urdu Mahir, Urdu Moullim, High School Patrachar Pathyakram	X
		Adim Higher Secondary Patrachar Pathyakram	XII
4	Madhya Pradesh Madarsa Board, Bhopal, MP	Middle	VIII
		Urdu Adeeb, Urdu Mahir, Urdu Moullim, Maulvi, Madhyamik	X
		Alim, Higher Secondary	XII
5	UP Madarsa Education Board, Lucknow, UP	Munshi, Moulvi	X
		Alim	XII

(A.K. Srivastava)
Under Secretary to the Government of India

To

<u>All Ministries/Departments of Government of India</u>

Copy to:-

1. President's Secretariat/Vice President's Secretariat/Prime Minister's Office/Supreme Court/Rajya Sabha Secretariat/Lok Sabha Secretariat/ Cabinet Secretariat/UPSC/CVC/C&AG/Central Administrative Tribunal (Principal Bench), New Delhi
2. All attached/subordinate offices of the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions.
3. Secretary, National Commission for Minorities
4. Secretary, National Commission for Scheduled Castes/Scheduled Tribes
5. Secretary, Staff Side, National Council (JCM), 13-C, Ferozeshah Road, New Delhi
6. All Staff Side Members of the National Council (JCM)
7. NIC, DOPT for uploading on website
8. Establishment (D) Section – 100 Copies

****

مساوات اسناد کا حکم نامہ

بسا اوقات داخلے کے لئے تعلیمی اداروں اور ملازمت کے لئے مختلف محکموں میں امیدواروں سے بہار اسٹیٹ مدرسہ ایجوکیشن بورڈ کے اسناد کی مساوات کے سلسلے میں حکومت کی منظوری کا حکم طلب کرتے ہیں اسلئے ذیل میں وہ حکم نامہ شائع کیا جارہا ہے تاکہ ضرورت مندوں کو آسانی ہو۔

پروفیسر (ڈاکٹر) عبدالواحد انصاری
چیئرمین، بہار اسٹیٹ مدرسہ ایجوکیشن بورڈ، پٹنہ

सरकारी सेवा में नियुक्ति हेतु मदरसा बोर्ड द्वारा नये पाठ्यक्रम के आधार पर प्रदान किये जाने वाले प्रमाण-पत्रों एवं डिग्री की समकक्षता

बिहार सरकार। कार्मिक विभाग। आदेश संख्या-3 आर। 1010/76 रि० का० 4226 दिनांक 11.3.77

विभिन्न सरकारी सेवा में नियुक्ति या प्रवेश पाने हेतु मदरसा परीक्षा बोर्ड बिहार द्वारा नए पाठ्यक्रम के आधार पर प्रदान किए जाने वाले प्रमाण-पत्रों एवं डिग्री को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति एवं अन्य के परिगणित विश्वविद्यालयों द्वारा दिए जाने वाले प्रमाण पत्रों एवं डिग्री के समान एवं समकक्षता निम्नांकित रूप से सरकार प्रदान करती है:-

मदरसा बोर्ड द्वारा दिए जानेवाली डिग्री/प्रमाण-पत्र	समकक्ष सामान्य प्रमाण पत्र/डिग्री	सरकारी सेवा में प्रवेश हेतु मान्यता
वुस्तानियाँ प्रमाण-पत्र	मिडिल स्कूल प्रमाण-पत्र	मिडिल स्कूल प्रमाण-पत्र
फौकानियाँ	माध्यमिक परीक्षा समिति प्रमाण-पत्र	मैट्रीक
मौलवी प्रमाण-पत्र	विश्वविद्यालय, इंटरमीडिएट प्रमाण-पत्र	आई० ए०
आलिम डिग्री	विश्वविद्यालय स्नातक डिग्री	बी०ए०

उपर्युक्त समकक्षता एवं मान्यता उस समय से लागू होगी जब उपर्युक्त चारों श्रेणी में नवीन पाठ्यक्रम से उत्तीर्ण विद्यार्थी सरकारी सेवा में प्रवेश पाने या नियुक्ति के लिए उम्मीदवार के रूप में उपलब्ध होंगे।

मुकुन्द प्रसाद
सरकार के अपर सचिव

108

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
।। संकल्प ।।

a- ord 12/3/19
19215 सचिव
नियोजन/उ.डि.
उपनिदेशक /उ.डि.
प्र-15 /301 12/3

विषयः– बिहार राज्य के अधीन नियुक्तियों में विभिन्न मदरसा बोर्ड द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र/ डिग्रियों की समानता एवं समकक्षता के संदर्भ में।

बिहार राज्य के अधीन विभिन्न सरकारी सेवा में नियुक्ति हेतु विभिन्न मदरसा बोर्डो द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र/डिग्रियों की समानता एवं समकक्षता निर्धारित किये जाने का प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन था।

2. सामान्य प्रशासन विभाग (तत्कालीन कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग) के आदेश संख्या–8–आर0–1–1010/76शि0को0–4226 दिनांक–11.03.1977 द्वारा विभिन्न सरकारी सेवा में नियुक्ति या प्रवेश पाने हेतु **मदरसा परीक्षा बोर्ड, बिहार द्वारा नये पाठ्यक्रम के आधार पर प्रदान किये जाने वाले प्रमाण पत्रों एवं डिग्री को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति एवं राज्य के परिगणित विश्वविद्यालयों द्वारा दिये जाने वाले प्रमाण पत्रों एवं डिग्री की समानता एवं समकक्षता निर्धारित है।**

3. बिहार सरकार के अन्तर्गत नियुक्ति हेतु ऐसे आवेदकों के आवेदन भी प्राप्त हो रहे हैं जिनके द्वारा अन्य राज्यों के मदरसा बोर्ड से डिग्री/प्रमाण पत्र प्राप्त किये गये हैं। परन्तु अन्य राज्यों के मदरसा बोर्ड द्वारा प्रदत्त डिग्री/प्रमाण पत्रों की समकक्षता से संबंधित राज्य सरकार का कोई निर्णय संसूचित नहीं है। अतः ऐसे आवेदकों की नियुक्ति के संदर्भ में विचार कर समुचित निर्णय लिये जाने हेतु अन्य राज्यों के मदरसा बोर्ड द्वारा प्रदत्त डिग्री/प्रमाण पत्रों की समकक्षता के संदर्भ में प्रावधान किया जाना आवश्यक हो गया है।

4. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय आदेश संख्या– 42012/13/2007–स्था0(डी0) दिनांक–23.02.2010 द्वारा केन्द्र सरकार में नियोजन हेतु विभिन्न राज्यों के मदरसा बोर्डो द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्रों/डिग्रियों की समकक्षता एवं मान्यता के संदर्भ में निर्णय संसूचित है।

5. सम्यक् विचारोपरान्त बिहार राज्य के अधीन नियुक्तियों में विभिन्न मदरसा बोर्ड द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्रों/डिग्रियों की समानता एवं समकक्षता के संदर्भ में निम्नांकित निर्णय संसूचित किया जाता है–

(i) तत्कालीन कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के आदेश संख्या–8–आर0–1–1010/76शि0को0–4226 दिनांक–11.03.1977 के प्रावधानों का अनुपालन किया जाय।

(ii) अन्य राज्य के मदरसा बोर्ड द्वारा प्रदत्त डिग्री/प्रमाण पत्र के संदर्भ में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय आदेश संख्या–42012/13/2007–स्था0(डी0) दिनांक–23.02.2010 द्वारा संसूचित निर्णय का अनुपालन किया जाय।

6. यह तुरत प्रवृत्त होगा।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसे बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रतिलिपि महालेखाकार, बिहार, पटना/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग,

107

पटना/सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना/सचिव, बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग, पटना/सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ भेजी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
12/3/19
(राजेन्द्र राम)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक–3/एम0–02/2019–3366 पटना, 15 दिनांक– 12-3-19

प्रतिलिपि– वित्त विभाग (ई–गजट प्रशाखा), बिहार, पटना बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

12/3/19
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक–3/एम0–02/2019–3366 पटना, 15 दिनांक– 12-3-19

प्रतिलिपि– मुख्य सचिव, बिहार/सभी प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/अध्यक्ष, बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग/बिहार कर्मचारी चयन आयोग/बिहार अभिलेखागार, बेली रोड/विपार्ड, वाल्मी, बिहार, पटना/आई0टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना। को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12/3/19
(राजेन्द्र राम)
सरकार के अपर सचिव